

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ।
प्रकरण संख्या : 650/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा आर.ए.सी.पी.सी. तृतीय, जवाहर नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री मुकेश पुरोहित पुत्र श्री शंकर सिंह
पता :- 51, चारणों की पोल, इतदारा चारनान, देसूरी, पाली, राजस्थान।
एवं चारण्य टॉवर, 1401, सी-विंग, अप्पा साहेब मराठे मार्ग, प्रभादयी, मुम्बई, महाराष्ट्र।
2. मैसर्स पुरोहित फूड सर्विस प्रोपराईटर श्री मुकेश पुरोहित पुत्र श्री शंकर सिंह
पता :- प्लेट नम्बर एफ-302, महिमा डिजायर, जयसिंहपुरा, अजमेर रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.



1. श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 19.02.2024


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मुकेश पुरोहित के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 1 व 2 खसरा नम्बर 1020, 1021, 1022, 1024 एवं 1025/1112 ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित प्लेट नम्बर F-302, तृतीय तल, ब्लॉक-एफ, महिमा डिजायर क्षेत्रफल 760 वर्गफीट को बन्धक रख कर एवं दृष्टिबन्धक स्टॉक को हाईपोथिकेटेड कर दिनांक 18.05.2018 को राशि 19,70,000/-रूपये एवं दिनांक 24.09.2018 को राशि 04,00,000/-रूपये कुल राशि 23,70,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 23,70,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से


5/15
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 23,60,390/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.11.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मुकेश पुरोहित के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 1 व 2 खसरा नम्बर 1020, 1021, 1022, 1024 एवं 1025/1112 ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित प्लॉट नम्बर F-302, तृतीय तल, ब्लाक-एफ, महिमा डिजायर क्षेत्रफल 760 वर्गफीट एवं हाईपोथिकेटेड दृष्टिबन्धक स्टॉक का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 19.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर